भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1079

सोमवार, 10 फरवरी, 2025/21 माघ, 1946 (शक)

पीएम-एसवाईएम योजना की मुख्य विशेषताएं

1079. श्री संजय हरिभाऊ जाधव:

श्री संजय उत्तमराव देशमुख:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कामगारों सहित लोगों को वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना (पीएम-एसवाईएम) शुरू की है;

(ख) उक्त योजना की मुख्य विशेषताएं, मुख्य उद्देश्य और भविष्य की संभावनाएं क्या हैं;

(ग) देश में उक्त योजना के अंतर्गत पंजीकृत लाभार्थियों की कुल संख्या का, महाराष्ट्र सहित, राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उक्त योजना को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाया गया हैं;

(ङ) देश में उक्त योजना के लिए आवंटित, जारी और व्यय की गई राशि का महाराष्ट्र के विशेष संदर्भ सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार का विचार उक्त योजना के अंतर्गत आश्वस्त न्यूनतम पेंशन राशि सुनिश्चित करने का है और उक्त योजना के अंतर्गत मृत व्यक्तियों के बच्चों को पारिवारिक पेंशन प्रदान करने का भी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (च): असंगठित क्षेत्र के कामगारों को वृद्धावस्था संरक्षण प्रदान कराने के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) योजना को फरवरी, 2019 में आरंभ किया गया था। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इस योजना के अंतर्गत, 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात, असंगठित कामगारों को 3000/- रु. की मासिक न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्रदान की जाती है। 18-40 वर्ष के आयु वर्ग के कामगार, जिनकी मासिक आय 15000/- रुपए या उससे कम है और जो ईपीएफओ/ईएसआईसी/एनपीएस (सरकार द्वारा वित्त-पोषित) के सदस्य नहीं हैं और न ही आयकरदाता हैं, इस योजना से जुड़ने के लिए पात्र

जारी..2/-

हैं। लाभार्थी की प्रवेश आयु के आधार पर लाभार्थी द्वारा 55 रुपए से 200 रुपए प्रतिमाह तक मासिक अंशदान किया जाता है। योजना के अंतर्गत, केंद्र सरकार द्वारा समान अंशदान का भुगतान किया जाता है। योजना में नामांकन सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से किया जाता है, जिनका देशभर में 4 लाख से अधिक केन्द्रों का नेटवर्क है। इसके अलावा, पात्र असंगठित कामगार www.maandhan.in पोर्टल पर जाकर स्वयं नामांकन भी कर सकते हैं।

दिनांक 28.01.2025 तक प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) योजना के अंतर्गत पंजीकृत लाभार्थियों की कुल संख्या 51,05,481 है (जिसमें 5,06,603 लाभार्थियों का समूहगत(बल्क) पंजीकरण शामिल है)। पीएम-एसवाईएम योजना के अंतर्गत राज्यवार पंजीकरण का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में उक्त योजना को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

(i) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समय-समय पर समीक्षा बैठक आयोजित करना।

(ii) राज्यों के सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) के प्रमुखों के साथ नियमित बैठक।

(iii) स्वैच्छिक निकासी, पुनरुद्धार (रिवाइवल) मॉड्यूल, दावा स्थिति और खाता विवरण जैसी नई विशेषताओं की शुरुआत।

(iv) निष्क्रिय खातों के रिवाइवल की अवधि को 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष तक करना।

(v) पीएम-एसवाईएम और ई-श्रम का दो-तरफा एकीकरण।

(vi) जागरूकता पैदा करने के लिए एसएमएस अभियान।

(vii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों के साथ पीएम-एसवाईएम योजना के तहत नामांकन के संबंध में पत्र-व्यवहार।

(viii) पीएम-एसवाईएम पेंशन योजना के तहत अपने कर्मचारियों के प्रीमियम का भुगतान करने के लिए नियोक्ता को प्रोत्साहित करने और नामांकन बढ़ाने के लिए डोनेट-ए-पेंशन मॉड्यूल का शुभारंभ।

(ix) पेंशन योजना की पहुंच बढ़ाने के लिए वित्तीय सेवा विभाग, पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण, राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान के साथ बात-चीत।

पिछले तीन वर्षों के दौरान पीएम-एसवाईएम योजना के अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई धनराशि (महाराष्ट्र राज्य सहित) निम्नानुसार है:-

जारी..3/-

वर्ष	संशोधित अनुमान (रुपए करोड़ में)	व्यय (रुपए करोड़ में)
2021-22	350	324.23
2022-23	350	269.91
2023-24	205	162.51

यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो लाभार्थी का जीवनसाथी पारिवारिक पेंशन के रूप में पेंशन का 50% प्राप्त करने का हकदार है।

*

****

अनुबंध

दिनांक 10.02.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1079 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

पीएम-एसवाईएम के तहत राज्य-वार पंजीकरण की संख्या (दिनांक 28.01.2025 की स्थिति के अनुसार)

राज्य नाम	**नामांकन संख्या**
अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह	2360
आंध्र प्रदेश	171112
अरुणाचल प्रदेश	3230
असम	43554
बिहार	221393
चंडीगढ़	4373
छत्तीसगढ़	232173
दिल्ली	11118
गोवा	2010
गुजरात	390881
हरियाणा	826135
हिमाचल प्रदेश	47848
जम्मू और कश्मीर	74763
झारखण्ड	137806
कर्नाटक	187558
केरल	15861
लद्दाख	1478
लक्षद्वीप	21
मध्य प्रदेश	182944
महाराष्ट्र	620859
मणिपुर	6038
मेघालय	5974
मिजोरम	1612
नागालैंड	5042
ओडिशा	189232
पुदुचेरी	6906
पंजाब	59045
राजस्थान	147240
सिक्किम	337
तमिलनाडु	68926

तेलंगाना	44348
दादरा और नगर हवेली व दमन और दीव	1660
त्रिपुरा	33956
उत्तर प्रदेश	693271
उत्तराखंड	39540
पश्चिम बंगाल	118274
पंजीकरण	45,98,878
बल्क पंजीकरण	5,06,603
कुल पंजीकरण	51,05,481

डाटा स्रोत: सीएससी

*****